"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 217] रायपुर, बुधवार, दिनांक 29 मई 2013—ज्येष्ठ 8, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 मई 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/22/2013/वाक/पांच (34).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 10(2)(अ) के तहत ऐसे व्यवसायी को, जिन्होंने प्रशमन के रूप में एकमुश्त रकम भुगतान का विकल्प लिया है, धारा 10(2)(ब) के प्रावधान से निम्न शर्तों के अध्यधीन दिनांक 1 अप्रैल, 2013 से छूट प्रदान करती है :—

(1) व्यवसायी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा, और

(2) ऐसे व्यवसायी द्वारा पूर्व में यदि देय एकमुश्त राशि का भुगतान न किया गया हो, तो उसका भुगतान **एवं यदि** कोई कमी हो, तो उसका सुधार, सूचना के तामिल दिनांक से 30 दिवस के भीतर करेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 29 मई 2013

क्रमांक एफ-10/22/2013/वाक/पांच (34).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/22/2013/वाक/पांच (34) दिनांक 29-05-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 29th May 2013

NOTIFICATION

No. F-10/22/2013/CT/V (34).—In exercise of the powers conferred by section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby exempts the dealers opting for payment, in lieu of tax payable, by composition in lump sum under section 10(2) (a) from the provisions of section 10(2) (b) from 1st April, 2013 subject to the following conditions, that, such dealers :—

(1) shall be given a reasonable opportunity of being heard, and

(2) shall make payment of lump sum due if any not paid earlier, and remove the deficiency if any within 30 days from the date of receipt of notice.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.